मुर्शिदाबाद संपदा प्रशासन अधिनियम, 1933

(1933 का अधिनियम संख्यांक 23)[1]

[21 सितम्बर, 1933]

सेक्रेटरी आफ स्टेट की ओर से मुर्शिदाबाद के नवाब बहादुर की संपत्तियों के लिए प्रबंधक की नियुक्ति तथा प्रबंधक की शक्तियों तथा कर्तव्यों को परिनिश्चित करने के लिए उपबंध करने के लिए

अधिनियम

सेक्रेटरी आफ स्टेट और मुर्शिदाबाद के नवाब बहादुर अमीर-उल-उमरा के बीच हुए करार की पुष्टि करते हुए तथा उसे प्रभावी करते हुए मुर्शिदाबाद ऐक्ट, 1891 (1891 का 15) में यह उपबंध है कि जब उक्त नवाब बहादुर या उनकी उपाधियों के पारंपरिक पुरुष उत्तराधिकारियों में से कोई उक्त करार के किसी निबन्धन का उल्लंघन करेगा या अपने को अपनी स्थिति और प्रास्थिति की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में असमर्थ बनाएगा तो सेक्रेटरी आफ स्टेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह करार में वर्णित स्थावर संपत्तियों में प्रवेश कर सकेगा और बंधपत्र में विनिर्दिष्ट कुछ ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसी रीति से, जो उसमें दी गई हैं, कर सकेगा ;

[2][और भारत शासन अधिनियम, 1935 (26 जार्ज-5, अध्याय 2) की धारा 177 के आधार पर उक्त करार, अधिनियम के भाग 3 के प्रारंभ[3] से, प्रभावी होगा मानो कि वह बंगाल प्रांत की ओर से बनाया गया हो तथा उसमें दिए गए सपरिषद् सेक्रेटरी आफ स्टेट के प्रति निर्देशों का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

[4][और इंडियन इंडिपेन्डेंस (राइट्स, प्रापर्टी एण्ड लाइबिलिटीज) आर्डर, 1947 के अनुच्छेद 8 के पैरा (2) के आधार पर उक्त करार, भारत के डोमिनियन के रूप में स्थापित किए जाने की तारीख से, प्रभावी होगा, मानो कि वह बंगाल प्रान्त की ओर से बनाया गया हो और उक्त करार के अधीन ऐसे सभी अधिकार तथा दायित्व जो प्रोद्‌भूत हो चुके हों या जो प्रोद्‌भूत हों, उस विस्तार तक जिस तक कि वे बंगाल प्रांत के अधिकार या दायित्व होते पश्चिमी बंगाल प्रांत के अधिकार तथा दायित्व होंगे ;]

और यह कि पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रबंधक की नियुक्ति करते हुए जो [5][पश्चिमी बंगाल] [6][राज्य सरकार] की ओर से [7][पूर्वोक्त] शक्तियों का प्रयोग करे, उक्त शक्तियों का राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त उपबंध करना समीचीन है और ऐसे प्रबन्धक के कर्तव्यों तथा शक्तियों को परिनिश्चित करते हुए और ऐसी रीति से जिनमें संपदा की स्थावर संपत्तियों के भाटक, प्रलाभों और लाभों और सरकार द्वारा [5][पश्चिमी बंगाल] के मुर्शिदाबाद जिले में बरहामपुर के सरकारी खजाने से प्रतिमास संदेय 19,166-10-8 रुपए की राशि उपयोजित की जाएगी ,]

और यह कि नवाब बहादुर को ऐसी निर्योग्यताओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना समीचीन है, जिनका आर्थिक संकट के कारण उन्हें सामना करना पड़ रहा है और उनके ऋणों को और बढ़ने से रोकना तथा ऐसे साधनों का उपबंध करना भी समीचीन है जो उनके लेनदारों को इतनी राशि का पुन: संदाय करने के लिए उचित हों तथा जो नवाब बहादुर की स्थिति तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त राशि हो,

अत: इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुर्शिदाबाद संपदा प्रशासन अधिनियम, 1933 है ।

[8][(2) इसका विस्तार, [9][1 नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग ख राज्यों में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के] सिवाय, संपूर्ण भारत पर है ।]

---

[1] निम्नलिखित अधिनियमितियां, जहां तक उनका संबंध, नवाब बहादुर की उपाधि के अवजनन से या मुर्शिदाबाद अधिनियम, 1891 में सम्मिलित और उसके द्वारा पुष्ट करार के अनुसरण में सरकार के राजस्व से नवाब बहादुर को संदेय दो लाख तीस हजार रुपए की राशि से या उन्नीस हजार एक सौ छियासठ रुपए दस आना और आठ पाई की समान मासिक किस्तों द्वारा उक्त करार के उपबंधों के अनुसार नवाब बहादुर को उस राशि के संदाय से, नहीं है, निरसित की जाती है, अर्थात् :—

(1) मुर्शिदाबाद अधिनियम, 1891 (1891 का 15)

(2) मुर्शिदाबाद संपदा प्रशासन अधिनियम, 1933 (1933 का 23)

(3) मुर्शिदाबाद अधिनियम, 1946 (1946 का बंगाल अधिनियम 15)

(4) मुर्शिदाबाद संपदा प्रशासन (संशोधन) अधिनियम, 1959 (1959 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 20)

1963 के पश्चिमी बंगाल अधिनियम 2 की धारा 10 द्वारा (1-5-1963 से) निरसित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[3] अर्थात् 1-4-1937 से ।

[4] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[5] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "बंगाल" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "राज्य सचिव" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "इन" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] विधि अनुकूलन (सं० 3) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(1) "संपदा की स्थावर संपत्ति" से ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जो मुर्शिदाबाद ऐक्ट, 1891 (1891 का 15) में अन्तर्विष्ट करार से उपाबद्ध स्थावर सम्पत्ति की अनुसूची में सम्मिलित है तथा उसके द्वारा पुष्ट है और इसमें ऐसी कोई अतिरिक्त स्थावर संपत्ति भी है जो उस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा इसमें जोड़ी गई है और इसके अन्तर्गत भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 32 के उपबंधों के अधीन अर्जित सभी स्थावर संपत्ति है ;

(2) "संपदा की स्थावर संपत्तियों के प्रलाभ और लाभ" के अन्तर्गत भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन संपदा की स्थावर संपत्तियों के अर्जन के लिए प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत, ब्याज सहित सभी राशियां सम्मिलित हैं ;

(3) "प्रबंधक" से धारा 3 के अधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(4) "नवाब बहादुर" से उस समय के मुर्शिदाबाद के नवाब बहादुर अभिप्रेत हैं ;

[1]* * * * *

(6) "राजस्व बोर्ड" से पश्चिमी बंगाल का राजस्व बोर्ड अभिप्रेत है ;

(7) "विहित" से इस अधिनियम द्वारा उपबंधित या धारा 28 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

3. प्रबंधक की नियुक्ति—[2][पश्चिमी बंगाल] की [3][राज्य सरकार] (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिनियम में "राज्य सरकार" कहा गया है) मुर्शिदाबाद ऐक्ट, 1891 (1891 का 15) के उपबंधों के अनुसार [4][राज्य सरकार] द्वारा संपदा की स्थावर सम्पत्तियों का कब्जा ले लेने के पश्चात् किसी भी समय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा [4][राज्य सरकार] की ओर से इन संपत्तियों के संपूर्ण भाग या उसके किसी भाग के और उनके भाटकों, प्रलाभों के प्रबंध के लिए तथा पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बरहामपुर सरकारी खजाने से संदेय मासिक 19-166-10-8 रुपए प्राप्त करने तथा उनके उपयोजन के लिए प्रबंध करने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु उक्त प्रबंध ऐसी तारीख से समाप्त हो जाएगा [5][जो, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए या नवाब बहादुर की मृत्यु हो जाने की दशा में राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा] [4][राज्य सरकार] द्वारा संपदा की स्थावर संपत्तियों के प्रवेश से वापस होने की तारीख अधिसूचित करे ।

[6]* * * * *

4. धारा 3 के अधीन आदेश का प्रभाव—धारा 3 के अधीन प्रबंधक की नियुक्ति के आदेश के प्रकाशन पर निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

पहला : नवाब बहादुर के किसी ऋण और दायित्वों की बाबत, किसी सिविल न्यायालय में उस समय लंबित सभी कार्यवाहियां वर्जित कर दी जाएंगी : और ऐसे ऋणों और दायित्वों के लिए या उनकी बाबत सभी आदेशिकाएं, निष्पादन तथा कुर्कियां अकृत और शून्य हो जाएंगी ;

दूसरा : जब तक ऐसा प्रबंध चालू रहता है, नवाब बहादुर के ऋण और दायित्व की बाबत, नवाब बहादुर [7]*** [8][या [9][पश्चिमी बंगाल] राज्य] या प्रबंधक के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की जाएगी अथवा कोई वाद लाया जाएगा, और न नवाब बहादुर ऐसे ऋणों और दायित्वों के लिए या उनकी बाबत जिनके अधीन वह ऐसे प्रकाशन के समय था अथवा ऐसे प्रकाशन के पूर्व अभिप्राप्त किसी डिक्री के निष्पादन के लिए या उसकी बाबत गिरफ्तारी के दायित्व के अधीन होगा और न उसकी जंगम संपत्ति उसके ऐसे ऋणों और दायित्वों के लिए या उनकी बाबत किसी न्यायालय की आदेशिका के अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्व के अधीन होगी ;

तीसरा : जब तक ऐसा प्रबंध चालू रहता है :—

(क) नवाब बहादुर संपदा की स्थावर संपत्ति को, बंधक रखने, भारित करने, पट्टा करने, व्यस्थापन या अन्य संक्रांत करने, अथवा उससे उद्भूत या प्रोद्भूत भाटकों और लाभों के लिए वैध रसीदें अनुदत्त करने के लिए असक्षम होंगे ;

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा खण्ड (5) का लोप किया गया ।
[2] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "बंगाल" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "उपराज्यपाल" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "राज्य सचिव" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] वैस्ट बंगाल ऐक्ट, 1959 का 20 की धारा 2 द्वारा "अधिसूचना की तारीख से" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] पश्चिम बंगाल अधिनियम, 1959 का 20 की धारा 2 द्वारा दूसरे परन्तुक का लोप किया गया ।
[7] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "या राज्य सचिव" शब्दों का लोप किया गया ।
[8] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश विधि अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "बंगाल" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) ऐसी संपत्ति, किसी न्यायालय की आदेशिका के अधीन कुर्क या विक्रय से छूट-प्राप्त होगी ; और

(ग) नवाब बहादुर किसी ऐसी संविदा करने के लिए असमर्थ होंगे जिसमें उन पर धन संबंधी दायित्व हों ; और

चौथा : भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन संपदा की स्थावर संपत्ति का [1][राज्य सरकार के] प्रवेश से पूर्व उस अधिनियम के अधीन अर्जित संपदा की स्थावर संपत्तियों के लिए प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत कोई रकम, यदि वह रकम उस अधिनियम की धारा 32 के अधीन प्रतिभूतियों में विनिहित की गई है या भूमि में ऐसे विनिधान या प्रतिभूतियों के लंबित रहने तक, न्यायालय में निक्षिप्त की गई है तो उसके सभी ब्याज तथा अन्य आगमों सहित, यदि किसी निधि के उपबंधों के अधीन पहले ही किसी व्यक्ति को संदत्त न कर दी गई हो,तो [1][राज्य सरकार की], और से प्रबंधक को व्ययन करने के लिए परिदेय होगी और उसका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जैसी [2][राज्य सरकार] ठीक समझे ।

5. प्रबंध के दौरान वाद और अपीलें—जब तक कि प्रबंधक की नियुक्ति चालू रहती है—

(1) ऐसे प्रत्येक वाद या अपील में जिसमें [3]*** [4][[5][पश्चिमी बंगाल] [3]*** राज्य] एक पक्षकार है और वादग्रस्त सम्पत्ति जिसके कब्जे में है, प्रबंधक, ऐसे वाद या अपील के प्रयोजन के लिए [6][प्रतिनिधि के रूप में] नामित होगा ;

(2) प्रबंध के अधीन संपत्ति से संबंधित ऐसे प्रत्येक लंबित वाद या अपील में जिसमें [5][पश्चिमी बंगाल] [2][राज्य] जिसके कब्जे में वादग्रस्त सम्पत्ति है, नवाब बहादुर के स्थान पर प्रबंधक एक पक्षकार होगा और वह वाद या अपील के प्रयोजन के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य के प्रतिनिधि के रूप में नामित होगा, और पश्चिमी बगाल राज्य की ओर से जिसके कब्जे में वादग्रस्त सम्पत्ति है, किसी न्यायालय में ऐसे किसी वाद या अपील के लिए आवेदन, प्रबंधक के सिवाय किसी अन्य द्वारा नहीं किया जाएगा ;

(3) प्रबंधक या वाद के किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि वादपत्र या अपील-ज्ञापन को इस ढंग से संशोधित किया जाए कि वह खण्ड (1) की अपेक्षाओं के अनुरूप हो अथवा इस धारा के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार प्रबंधक का [2][पश्चिमी बंगाल राज्य] का जिसके कब्जे में वादग्रस्त सम्पत्ति है, प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाए ।

6. प्रबंधक द्वारा भाटक, प्रलाभों और लाभों का प्राप्त किया जाना—(1) प्रबंधक, संपदा की स्थावर संपत्तियों की बाबत सभी भाटकों, प्रलाभों या लाभों को प्राप्त करेगा और ऐसे भाटकों, प्रलाभों और लाभों की प्राप्ति की रसीद देगा ।

(2) प्रबंधक [2][पश्चिमी बंगाल] के मुर्शिदाबाद जिले में बरहामपुर सरकारी खजाने से 19,166-10-8 रुपए प्रतिमास की रकम प्राप्त करेगा और उसके लिए रसीद देगा ।

7. प्रबंधक द्वारा प्राप्त राशियों का उपयोजन—धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्राप्त राशियों में से प्रबंधक—

पहले, नवाब बहादुर को ऐसी मासिक राशि का संदाय करेगा जो राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे, किन्तु किसी भी दशा में वह 9,583-5-4 रुपए से कम नहीं होगी ;

[7]**[दूसरे]** मुर्शिदाबाद ऐक्ट, 1946 की धारा 3 के अधीन संदेय भत्ते, यदि कोई हों, देगा ;

[8]**[तीसरे]** सरकारी राजस्व, उपकर, दर और कर तथा उस समय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को शोध्य या उपगत सभी ऋण और दायित्व का संदाय करेगा ;

[9]**[चौथे]** नवाब बहादुर द्वारा अभिधारी के रूप में धारित किसी संपत्ति की दशा में, उक्त सम्पत्ति की बाबत वरिष्ठ भू-स्वामी को शोध्य भाटक और उपकर का संदाय करेगा;

[10]**[पांचवें]** संपदा की स्थावर संपत्ति की ऐसी मरम्मत और सुधारों पर हुए खर्चों का संदाय करेगा जो प्रबंधक को आवश्यक प्रतीत हों और राजस्व बोर्ड द्वारा अनुमोदित हों,

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "राज्य सचिव के" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "राज्य सचिव" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "या राज्य सचिव" शब्दों का लोप किया गया ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[5] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "बंगाल" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "उसके प्रतिनिधि" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] बंगाल अधिनियम, 1946 का 15 की धारा 5 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[8] बंगाल अधिनियम, 1946 का 15 की धारा 5 द्वारा "दूसरे" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[9] बंगाल अधिनियम, 1946 का 15 की धारा 5 द्वारा "तीसरे" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] बंगाल अधिनियम, 1946 का 15 की धारा 5 द्वारा "चौथे" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

और अतिशेष को, प्रबंध में हुए खर्चों के उन्मोचन के लिए, मुकदमेबाजी में उपगत व्यय के संदाय के लिए और धारा 14 के अधीन राजस्व बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार नवाब बहादुर के ऐसे ऋणों और दायित्वों के निपटारे के लिए उपयोजित करेगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबंधक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन प्राप्त राशियों में से कोई भी राशि, किसी वस्तु पर हुए व्यय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जिसे [1][राज्य सरकार] समय-समय पर मंजूर करे, संदाय करे ।

8. दावेदारों को सूचना—धारा 3 के अधीन प्रबंधक की नियुक्ति के आदेश के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रबंधक विहित रीति से अंग्रेजी और बंगला में सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके दावे नवाब बहादुर के विरुद्ध हैं, इस बात के लिए अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने ऐसे दावों को, सूचना की तारीख से छह मास के भीतर लिखित रूप में, प्रबंधक को अधिसूचित करे ।

9. दावों का उपस्थापित किया जाना—प्रत्येक ऐसा दावेदार, अपने दावे के साथ, प्रबंधक को उसकी पूर्ण विशिष्टियां, उन सभी दस्तावेजों सहित जिन पर उसका समर्थन आधारित है उपस्थापित करेगा, और प्रबंधक, दावे के अन्वेषण के दौरान, दावेदार की ओर से साक्ष्य में इस प्रकार उपस्थापित न किए गए किसी दस्तावेज को ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा ।

10. सम्यक् रूप से ऋण अधिसूचित होने पर उनका वर्जित किया जाना—सरकार को या किसी स्थानीय प्राधिकरण को शोध्य ऋण या उनके द्वारा उपगत दायित्वों और किसी संपत्ति के बारे में नवाब बहादुर का अभिधारी के रूप में किसी वरिष्ठ भू-स्वामी को शोध्य किसी भाटक के सिवाय ऐसे प्रत्येक ऋण या दायित्व, जो प्रबंधक को धारा 8 और धारा 9 में वर्णित समय के भीतर और रीति से सम्यक् रूप में अधिसूचित नहीं किए गए हैं, वर्जित कर दिए जाएंगे :

परन्तु जहां प्रबंधक का समाधान हो जाता है कि दावेदार युक्तियुक्त कारणों से धारा 8 और धारा 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ है, वहां प्रबंधक उसके दावे को, धारा 8 में विनिर्दिष्ट छह मास की अवधि के अवसान की तारीख से, अतिरिक्त छह मास की अवधि के भीतर, ग्रहण कर सकेगा ।

11. ऋणों का अवधारण—प्रबंधक विहित रीति से, ऐसे सभी ऋणों और दायित्वों की मूल रकम का अवधारण करेगा जो धारा 10 के अधीन वर्जित नहीं है और नवाब बहादुर के विभिन्न लेनदारों और नवाब बहादुर की सम्पत्ति पर बन्धक, भार या धारणाधिकार रखने वाले व्यक्तियों को न्यायोचित रूप से शोध्य हैं और उक्त रीति से ऐसे ऋणों और दायित्वों की बाबत, ऐसे अवधारण की तारीख को शोध्य ब्याज, यदि कोई हो, अवधारित करेगा और लगाए गए ब्याज की दर को कम कर सकेगा, जैसा उसे न्यायोचित और उचित प्रतीत हो ।

12. पट्टे आदि के प्रतिफल के बारे में जांच करने की शक्ति—प्रबंधक उस प्रतिफल की पर्याप्तता के बारे में जांच कर सकेगा जिस पर कोई पट्टा, व्यवस्थापन, अनुदान, बंधक, भार या धारणाधिकार दिया गया है और क्या वह मुर्शिदाबाद ऐक्ट, 1891 (1891 का 15) की शर्तों के उल्लंघन में दिया गया है और यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रतिफल अपर्याप्त था या ऐसा पट्टा, व्यवस्थापन, अनुदान, बंधक, भार या धारणाधिकार उक्त अधिनियम के उल्लंघन में दिया या किया गया था, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे पट्टे, व्यवस्थापन, अनुदान, बन्धक, भार या धारणाधिकार को अपास्त कर सकेगा या उसमें उपांतरण कर सकेगा और ऐसा कोई आदेश धारा 13 में उपबंधित अपील के अधीन रहते हुए, किसी सक्षम सिविल न्यायालय की डिक्री का बल रखेगा और उस रूप में प्रवर्तनीय होगा ।

13. राजस्व बोर्ड को अपील—(1) राजस्व बोर्ड को,—

(क) धारा 9 के अधीन किसी दस्तावेज को प्राप्त करने से इंकार करने वाले ; या

(ख) धारा 10 के परन्तुक के अधीन किसी दावे को ग्रहण करने से इंकार करने वाले ; या

(ग) धारा 11 के अधीन ऋण या दायित्व की या उन पर ब्याज की रकम का अवधारण करने वाले अथवा ब्याज की दर कम करने वाले ; या

(घ) धारा 12 के अधीन किसी पट्टे, व्यवस्थापन, अनुदान, बंधक, भार या धारणाधिकार को अपास्त या उसमें उपांतरण करने वाले,

प्रबंधक के किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी ।

(2) यदि आदेश की तारीख से छह सप्ताह के भीतर कोई अपील नहीं की जाती है, तो प्रबन्धक का विनिश्चय धारा 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा ।

14. ऋणों के निपटारे के लिए स्कीमें—(1) जब धारा 11 में वर्णित ऋणों और दायित्वों की बाबत शोध्य रकम का अंतिम रूप से अवधारण हो जाता है, तब प्रबंधक ऐसे ऋणों और दायित्वों की एक अनुसूची तैयार करेगा और नवाब बहादुर के जीवन काल में वार्षिक रूप से उपलब्ध धारा 7 में निर्दिष्ट अवशिष्ट रकम में से उक्त ऋणों और दायित्वों का पूर्ण रूप से या भाग रूप में निपटारे के

---

[1] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "बंगाल" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

लिए एक स्कीम तैयार करेगा और राजस्व बोर्ड को प्रस्तुत करेगा, और राजस्व बोर्ड स्कीम को किसी उपांतरण के बिना या ऐसे उपांतरण के अधीन रहते हुए जो उसे समीचीन प्रतीत हो, अनुमोदित कर सकेगा ।

(2) स्कीम में यावत्शक्य शीघ्र निम्नलिखित के लिए पूर्ण संदाय के लिए उपबंध होगा, अर्थात् :—

(क) पहला, नवाब बहादुर के सेवकों को शोध्य मजदूरी बकाया जो पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार अवधारित की गई हो ; और

(ख) दूसरा, प्रत्येक लेनदारों के दावे जो इस प्रकार अवधारित किए जाने पर योग में पांच सौ रुपए से अधिक न हों,

और स्कीम में अतिरिक्त उपबंध यह भी होगा कि उपर्युक्त दावों की रकम को पूरा करने के पश्चात् कोई अतिशेष और प्रत्येक वार्षिक अवशिष्ट रकम को नवाब बहादुर के अन्य लेनदारों को उनके दावों के संदाय के रूप में, जैसाकि अवधारित किया गया है, आनुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा ।

15. अतिरिक्त विशिष्टियां मांगने की शक्ति—प्रबंधक, समय-समय पर, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किए गए किसी दावे के लिए अतिरिक्त और अधिक विस्तृत विशिष्टियां मांग सकेगा और अपने विवेकानुसार दावे के अन्वेषण करने में अग्रसर होने के लिए तब तक इंकार कर सकेगा जब तक कि उसे ऐसी विशिष्टियां नहीं दे दी जाती हैं ।

16. साक्षियों को समन करने की शक्ति—प्रबंधक, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, साक्षियों को उन्हीं साधनों द्वारा और जहां तक संभव हो, उसी रीति से जैसी कि किसी सिविल न्यायालय के किसी मामले में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में उपबंधित है, समन कर सकेगा और उनकी उपस्थिति प्रवर्तित करा सकेगा और उन्हें साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश कर सकेगा ।

17. अन्वेषण का न्यायिक कार्यवाही समझा जाना—इस अधिनियम के अधीन प्रबंधक के समक्ष किया गया कोई दावा या ऐसे दावे से संबंधित किसी बात के संबंध में, प्रबंधक द्वारा संचालित प्रत्येक अन्वेषण भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थ के भीतर एक न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और ऐसे किसी अन्वेषण की परीक्षा के संबंध में प्रबन्धक द्वारा या उसके समक्ष शपथ पर या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा, किया गया प्रत्येक कथन, उक्त संहिता के अर्थ में साक्ष्य समझा जाएगा ।

18. लेखे, कागज-पत्र आदि और हकसाक्ष्य को पेश करने के लिए आदेश करने की शक्ति—(1) मुर्शिदाबाद का कलक्टर, प्रबंधक द्वारा आवेदन करने पर, यह आदेश कर सकेगा कि वे सभी व्यक्ति जो नवाब बहादुर की संपदा के नियोजन में हैं या नियोजन में थे उसके समक्ष हाजिर हों, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को संपदा के किसी लेखे, कागज-पत्रों या जंगम संपत्ति को, या संपदा की स्थावर संपत्ति से संबंधित या संपदा की किसी ऐसी अन्य संपत्ति से सम्बन्धित जिसके बारे में प्रबंधक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या उसके नियंत्रण में है, कोई लेखा या कागज-पत्र परिदत्त करने के लिए आदेश कर सकेगा, और ऐसी किसी संपत्ति के भू-धृति या उप-भू-धृति के सभी धारकों को ऐसी भू-धृति या उप-भू-धृति के हकों को पेश करने के लिए आदेश कर सकेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने से इन्कार करेगा तो वह मुर्शिदाबाद के कलक्टर द्वारा जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा, जो पांच सौ रुपए से अधिक का नहीं होगा :

परन्तु उपधारा (2) के अधीन कलक्टर द्वारा किए गए जुर्माने के आदेश के विरुद्ध, राजस्व बोर्ड को अपील की जाएगी ।

19. प्रबंधक की भाटक आदि को आप्त करने की शक्तियां—(1) प्रबंधक को, संपदा की स्थावर संपत्तियों के भाटक, प्रलाभ और लाभों को आप्त करने और वसूल करने के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां होंगी जो नवाब बहादुर को ऐसे प्रयोजन के लिए होतीं, यदि [1][राज्य सरकार] ने उक्त संपत्ति पर कब्जा नहीं कर लिया होता और भाटक की सभी बकाया और भाटक के रूप में वसूलीय सभी मांग और ऐसी बकाया या मांग पर शोध्य सभी ब्याज, उनके वसूल किए जाने में उपगत सभी खर्चों सहित, लोक मांग के रूप में वसूलीय होंगे ।

(2) यदि ऐसी संपत्ति या उसका कोई भाग किसी बंधकार या सशर्त क्रेता के कब्जे में है, तो प्रबंधक उस कलक्टर को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर संपत्ति स्थित है और कलक्टर उसे प्रबंधक को इस प्रकार परिदत्त कराएगा मानो कि उसके लिए उसके पक्ष में कोई डिक्री हुई है । किन्तु ऐसा तब होगा जब इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन बंधकदार या क्रेता के दावा करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो ।

(3) यदि ऐसी संपत्ति या उसका कोई भाग, न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी रिसीवर के कब्जे में है, तो प्रबंधक न्यायालय को आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी संपत्ति को ऐसी रसीदों के साथ जो आवेदन के समय रिसीवर या न्यायालय के पास हों, प्रबंधक को, परिदत्त कराएगा ।

20. पट्टा करने की शक्ति—प्रबंधक, विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, संपदा की सभी स्थावर संपत्तियों या उनमें से किसी एक का व्यवस्थापन कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए कोई पट्टा या किसी पट्टे का प्रतिलेख निष्पादित कर सकेगा :

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "राज्य सचिव" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु जब तक कि ऐसा व्यवस्थापन धारा 28 के अधीन बनाए गए नियम द्वारा प्राधिकृत प्रकार का न हो, इसके निबंधन और शर्तें राज्य सरकार द्वारा पहले से ही अनुमोदित कर दी गई हों ।

21. प्रबंधक की संपदा के फायदे के लिए संविदा करने की और कार्यवाही करने की शक्ति—प्रबन्धक ऐसी कोई संविदा या ऐसी कोई कार्यवाही कर सकेगा जो उसकी राय में सम्पदा की स्थावर सम्पत्तियों और उनके भाटकों, प्रलाभों तथा लाभों की समुचित देखभाल और प्रबन्ध के लिए या नवाब बहादुर की प्रतिष्ठा और मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो और जो इस अधिनियम के किसी उपबंध से या धारा 28 के अधीन बनाए गए किसी नियम से असंगत न हो :

परन्तु यदि वह इस अधिनियम के किसी उपबंध द्वारा या धारा 28 के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा ऐसी संविदा करने के लिए अथवा ऐसी कार्यवाही करने के लिए सशक्त नहीं किया गया है तो वह संविदा करने या कार्यवाही करने से पूर्व राजस्व बोर्ड की पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा ।

22. पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियां—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के प्रयोग में प्रबंधक के सभी आदेश या कार्यवाहियां राजस्व बोर्ड के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन राजस्व बोर्ड के सभी आदेश या कार्यवाहियां, राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगी ।

(3) पर्यवेक्षण प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से प्रत्येक मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा और यदि वह ठीक समझे तो कार्यवाही के किसी आदेश को पुनरीक्षित, उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

23. प्रबंधक को लोक सेवक समझा जाना—भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में प्रबंधक को लोक सेवक समझा जाएगा ।

24. जुर्मानों का वसूल किया जाना—इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना लोक मांग के रूप में वसूलीय होगा ।

25. कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध वादों आदि का वर्जन—कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

26. राज्य सरकार की आदेश करने की शक्ति—यदि संपदा की स्थावर संपत्तियों के कब्जे से प्रत्याहरण के समय, नवाब बहादुर या उनके उत्तराधिकारी को, सम्पत्तियों या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अधिकारों या उसके द्वारा प्रयोग किए गए अधिकारों के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा, किसी ऐसी बात या विषय के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो उसे ऐसे प्रत्यावर्तन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक प्रतीत हो ।

27. राज्य सरकार द्वारा कब्जे से प्रत्याहरण का प्रभाव—इस अधिनियम में या किसी अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, [1][राज्य सरकार] द्वारा संपदा की स्थावर संपत्तियों से कब्जे का प्रत्याहरण, धारा 4 के पहले खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं कार्यवाहियों को पुन: प्रवर्तित करने पर प्रभाव नहीं डालेगी, यदि ऐसे ऋण या दायित्व जिनकी बाबत ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की गई थीं, धारा 10 के अधीन वर्जित कर दिए गए हैं ।

धारा 4 की कोई बात, उक्त खण्ड में निर्दिष्ट किसी अन्य कार्यवाहियों को ऐसे प्रत्याहरण के पश्चात् पुन: प्रवर्तित करने के लिए, वर्जित नहीं करेगी :

परन्तु कोई भी न्यायालय नवाब बहादुर के विरुद्ध किसी ऐसे वाद को ग्रहण नहीं करेगा या ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा, जिसमें दावाकृत रकम, उस पर शोध्य अतिरिक्त ब्याज सहित, यथास्थिति, धारा 11, धारा 13 या धारा 22 के अधीन अवधारित रकम से अधिक है या जिसमें ब्याज का दावा ऐसी दर से उच्चतर दर पर किया गया है जो उन धाराओं के अधीन न्यायोचित और उचित अवधारित की गई है ।

28. नियम बनाने की शक्ति—(1) राजस्व बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के सभी या उनमें से किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, [2][और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी]

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं बातों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) अधिनियम के अधीन अधीनस्थ अधिकारियों से अपेक्षा की जाने वाली प्रतिभूति ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रबंधक द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, ऐसे लेखे जो उसके द्वारा रखे जाएंगे और ऐसी रीति जिसमें ऐसी लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी ;

(ग) ऐसे निबंधन, शर्तें और परिसीमाएं जिनके अधीन पट्टे मंजूर किए जा सकेंगे ;

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "राज्य सचिव" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

(घ) इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं और ऐसी सूचनाओं के प्रकाशन की रीति ;

(ङ) दावेदारों द्वारा दावे प्रस्तुत करने और प्रबंधक द्वारा ऐसे दावों के अन्वेषण के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(च) धारा 11 के अधीन लेनदारों और अन्य व्यक्तियों को शोध्य ऋणों और दायित्वों को अवधारित करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(छ) धारा 11 के अधीन अवधारित प्रत्येक ऋणों और दायित्वों की, जो उनके उपगत होने की तारीख से आरंभ होकर अवधारण की तारीख तक समाप्त होते हैं, मूल रकम पर और ऐसे ऋणों और दायित्वों की कुल रकम पर, उनके अवधारण की तारीख से संदाय की तारीख तक, ब्याज में मोक ;

(ज) धारा 14 में निर्दिष्ट ऋणों और दायित्वों की अनुसूची और स्कीम तैयार करना और ऐसे ऋणों और दायित्वों के संदाय का क्रम ;

(झ) निपटारा करने या मंजूर करने की प्रबंधक की शक्ति ; और

(ञ) इस अधिनियम के अधीन अपील करने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ।

[1][(3) इस अधिनियम के अधीन राजस्व बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।]

———

[1] 2005 के अधिनियम सं० 4 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।